5/4/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हाजिर। लोक अदालत हेतु
जारी होकर दिनांक 29.5.18 को पेश हो।

29.5.18 पत्रावली पेश। लोक अदालत कैम्प - बगड़वा में मौका स्थिति पर सरपंच - ग्राम पंचायत, तहसीलदार पीपलू से स्थिति जानी गई। प्रार्थी वादी ने प्रति. न. 3 के संबंध में तथ्य छुपा कर वाद पेश किया है, सरपंच होने के बावजूद उसकी स्थिति व पदनाम स्पष्ट नहीं किए गए। प्रार्थी ने कथन किया (पैरा न. 5) कि अप्रार्थी सड़क बनाने पर आमादा है, जबकि सड़क निर्माण - सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है। यह तथ्य जानते हुए भी वादी ने अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि को पक्षकार नहीं बनाया तथा तथ्य छुपाते हुए दावा पेश किया है, जो फर्जकारी है। अत: अदालत न्यायहित व भविष्य में ऐसे फर्जी तथ्यों व बयानों पर आधारित दावों को रोकने के लिए लोक अदालत में मजमे आम में फैसला सुनाती है कि वाद वादी अदालत को गुमराह करके व वास्तविक पक्षकार को सामने न लाकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार को क्षति पहुंचाकर किया गया है। अत: वाद वादी साबित न होने से खारिज किया जाता है।

आदेश
29.5.18